

21/7/23

पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित।
पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते
हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के
आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं
पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का
अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि
मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम पाटन स्थित खसरा नं.
217 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है।
अतः प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक
संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित
है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने



संग्रह है।

[Handwritten signature]

आदेश

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नैनीताल (सीकर)

पत्रा 282/2023

निर्णय दिनांक 21.07.2023

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया
जाता है कि राजस्व ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील
पाटन स्थित खसरा नं. 217 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर की
प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि
सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2022 पत्थरगढ़ी
की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने
अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार
पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फ़ैसल
शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।



निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

[Handwritten signature]
राजवीर सिंह यादव
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नैनीताल